भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1885

दिनांक 05 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की बढ़ती मात्रा

1885 श्री एस. निरंजन रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी रणनीति की आवश्यकता पर बल दिया है, यदि हाँ, तो ऐसी कार्यनीति को तैयार करने तथा कार्यान्वयन के लिए समय- सीमा और रूपरेखा क्या है;

(ख) फलों, सब्जियों, दालों और दूध सहित खाद्य पदार्थों में कीटनाशक संदूषण को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में कीटनाशक और रासायनिक अवशेषों के लिए कितने खाद्य नमूनों का परीक्षण किया गया और इस अवधि के दौरान कितने प्रतिशत नमूने अनुपालन नहीं करने वाले पाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) जोखिम मूल्यांकन करने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक (संदूषक, आविष पदार्थ और अवशिष्ट) विनियम, 2011 के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशकों की अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) को अधिसूचित करता है।

एफएसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा प्राधिकरणों के माध्यम से खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी, निरीक्षण, यादृच्छिक नमूना-चयन और विशेष रूप से त्यौहारों/अधिकतम मांग वाले समय के दौरान लक्षित प्रवर्तन अभियान चलाता है, ताकि खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 के नियमों और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

राष्ट्रीय वार्षिक निगरानी योजना (एनएएसपी) के अंतर्गत, एफएसएसएआई विभिन्न खाद्य वस्तुओं पर राष्ट्रव्यापी मासिक निगरानी अभियान चला रहा है ताकि खाद्य पदार्थों में एफएसएस विनियमों के लागू प्रावधानों के अनुपालन का आकलन किया जा सके। यदि निगरानी के दौरान अनुपालन न करने का कोई भी मामला पाया जाता है, तो बाद में उन अननुरूप नमूनों के संबंध में प्रवर्तन नमूना-चयन की कार्रवाई की जाती है। ऐसे मामलों में, जहाँ प्रवर्तन संबंधी नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं , एफएसएस अधिनियम 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, दोषी खाद्य व्यवसाय परिचालकों (एफबीओ) के विरुद्ध नियामक कार्रवाई शुरू की जाती है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) ने विभिन्न खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी हेतु "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशिष्टों की निगरानी" (एमपीआरएनएल) नामक परियोजना को वित्तपोषित किया है। एमपीआरएनएल परियोजना के अंतर्गत, देश के विभिन्न भागों से 35 सहभागी प्रयोगशालाओं द्वारा सब्जियों, फलों, मसालों, अनाज, दालों, जड़ी-बूटियों, मछली/समुद्री, मांस और अंडे, चाय और दूध जैसी खाद्य वस्तुओं के नमूने एकत्र किए जाते हैं और कीटनाशक अवशिष्टों की संभावित उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उनका विश्लेषण किया जाता है।

2022-25 के दौरान, विभिन्न खाद्य वस्तुओं के कुल 86,401 नमूने एकत्र किए गए और कीटनाशक अवशिष्टों के लिए उनका विश्लेषण किया गया, जिनमें से 2.8% नमूने एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित अधिकतम अवशिष्ट सीमा (एमआरएल) से अधिक पाए गए।

*****